

# इस्लाम प्रश्न और उत्तर

जनरल पर्यवेक्षक : शैख मुहम्मद सालेह

अल-मुनज्जिद

41901 - क्या वह नफ्ल रोजे रख सकती है जबकि उसके ऊपर रमज्जान के कुछ दिनों के रोजे बाकी हैं ?

प्रश्न

मैं ने मासिक धर्म के कारण रमज्जान में कुछ दिनों के रोजे तोड़ दिए, और अभी तक मैं ने अपने कऱ्ज को नहीं पूरा किया है, क्या मेरे लिए ज़ुलहिज्जा के प्रथम दहे का रोज़ा रखना जायज़ है .. ?

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह के लिए योग्य है।

यह मस्अला विद्वानों के यहाँ रमज्जान की कऱ्जा से पहले नफली रोज़ा रखने के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में विद्वानों के बीच मतभेद है, चुनाँचे कुछ विद्वानों ने आदमी के ऊपर जो रोजे अनिवार्य हैं उनकी कऱ्जा करने से पहले नफली रोज़ा रखने को हराम (निषिद्ध) ठहराया है, क्योंकि अनिवार्य रोजे से शुरूआत करना नफ्ल से अधिक महत्वपूर्ण है, जबकि कुछ विद्वानों ने इसे जायज़ ठहराया है।

माननीय शैख मुहम्मद बिन सालेह अल-उसैमीन रहिमहुल्लाह से प्रश्न किया गया कि : यदि किसी अनिवार्य (वाजिब) की कऱ्जा और एक ऐच्छिक (मुस्तहब) काम एकत्र हो जाए, तो क्या इंसान के लिए जायज़ है कि मुस्तहब काम को करे और वाजिब की कऱ्जा को बाद के समय के लिए विलंब कर दे या कि वह पहले वाजिब काम की शुरूआत करे, उदाहरण के तौर पर : आशूरा के दिन का रोज़ा रमज्जान के रोज़ों की कऱ्जा के साथ पड़ जाए ?

तो उन्होंने उत्तर दिया : “इसमें कोई संदेह नहीं कि कऱ्ज और नफ्ल रोज़ों के संबंध में धर्मसंगत और उचित यह है कि वह नफ्ल से पहले फरीज़ा से शुरूआत करे, क्योंकि फरीज़ा उसके ऊपर अनिवार्य कऱ्ज है, जबकि नफली रोज़े ऐच्छिक हैं यदि वे रखे जा सकें तो ठीक, अन्यथा कोई आपत्ति की बात नहीं है, इस आधार पर हम उस व्यक्ति से जिसके ऊपर रमज्जान की कऱ्जा बाकी है, कहते हैं कि : नफ्ल रोज़ा रखने से पहले आप अपने ऊपर अनिवार्य रोज़ों की कऱ्जा करें, और यदि उसने अपने ऊपर अनिवार्य रोज़ों की कऱ्जा से पहले नफली रोज़ा रख लिए तो तो सहीह बात यह है कि उसका नफली रोज़ा रखना

# इस्लाम प्रश्न और उत्तर

जनरल पर्यवेक्षक : शैख मुहम्मद सालेह  
अल-मुनज्जिद

सही है जब तक कि समय में विस्तार है, क्योंकि रमज्जान के रोज़ों की क़ज़ा का समय उस वक़्त तक रहता है जब तक कि आदमी के और दूसरे रमज्जान के बीच उतना समय बाकी रहता है जितना उसके ऊपर रोज़ा अनिवार्य रह गया है, अतः जब तक मामले में विस्तार है तो नफ्ली रोज़ा रखना जायज़ है, जैसेकि उदाहरण के तौर पर फर्ज़ नमाज़, यदि समय के विस्तार के साथ इंसान फर्ज़ नमाज़ से पहले नफ्ली नमाज़ पढ़ ले तो जायज़ है, अतः जिसने अरफा के दिन का या आशूरा के दिन का रोज़ा रखा जबकि उसके ऊपर रमज्जान के रोज़े की क़ज़ा बाकी है तो उसका रोज़ा रखना सही है, लेकिन यदि उसने यह नीयत कर ली कि वह इस दिन का रोज़ा, रमज्जान के बाकी रह गए रोज़ों के बदले, रख रहा है तो उसे दो अज्ज़ मिले गा : क़ज़ा के अज्ज़ के साथ अरफा के रोज़े का अज्ज़ और आशूरा के रोज़े का अज्ज़। यह सामान्य नफ्ली रोज़े के बारे में है जो रमज्जान से संबंधित नहीं है। जहाँ तक शब्बाल के छः रोज़ों का संबंध है तो वह रमज्जान से संबंधित है और वह रमज्जान के रोज़ों की क़ज़ा के बाद ही हो सकता है, यदि वह रमज्जान की क़ज़ा से पहले उनके रोज़े रख ले तो उसे उनका अज्ज़ नहीं मिलेगा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है : “जिसने रमज्जान का रोज़ा रखा फिर उसके पीछे शब्बाल के छः रोज़े रखे तो गोया उसने ज़माने भर का रोज़ा रखा।” और यह बात पता है कि जिसके ऊपर क़ज़ा अनिवार्य है वह रमज्जान का रोज़ा रखने वाला नहीं समझा जायेगा यहाँ तक कि वह क़ज़ा की पूर्ति कर ले। यह ऐसा मसला है जिसके बारे में कुछ लोगों का गुमान यह है कि यदि छः रोज़े रखने से पूर्व शब्बाल के महीने के निकलने का डर हो तो आदमी उसके रोज़े रख लेगा भले ही उसके ऊपर क़ज़ा बाकी है। हालाँकि यह बात गलत है, क्योंकि इन छः दिनों का रोज़ा उसी समय रखा जायेगा जब आदमी अपने रमज्जान के बाकी रह गए रोज़ों को पूरा कर ले।” मज्मूओं फतावा इब्ने उसैमीन (20/438).

इस आधार पर, आपके लिए ज़ुलहिज्जा की प्रथम दहाई के रोज़े रखना जायज़ है इस तौर पर कि वे नफ्ली रोज़े हैं, और बेहतर यह है कि आप उन्हें रमज्जान की क़ज़ा की नीयत से रखें, और अल्लाह ने चाहा तो आप को दोनों के अज्ज़ प्राप्त होंगे।

तथा प्रश्न संख्या (23429) का उत्तर देखें, और अल्लाह तआला ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।